न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

उपस्थितः- दिलीप कुमार सचान, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPBU130002562025

दाण्डिक अपील संख्याः 09 सन् 2025

1. साजिद पुत्र फतह मोहम्मद,
2. शाहिद पुत्र मलवा,
   निवासीगण-मोहल्ला मुगलपुरा, थाना-खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।
3. सिल्लन उर्फ यासीन पुत्र सद्दीक, निवासी-मोहल्ला कस्सावान, थाना-खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।

..........अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. शफीक उर्फ यासीन पुत्र सद्दीक, निवासी-मोहल्ला कस्सावान, थाना-खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।

...........विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा-323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०सं०,
थाना-खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।

अपीलार्थीगण की ओर से- श्री शुजात उल्ला खाँ, एडवोकेट।
विपक्षी सं० 1 की ओर से- श्री संजीव कुमार, सुश्री रश्मि सोलंकी (ADGC Cri.)
विपक्षी सं० 2 की ओर से- श्री प्रवीन कुमार, एडवोकेट

परिवाद संस्थित करने की तिथि- 24.07.2014
आरोप विरचन की तिथि- 23.12.2016
बयान धारा 313 दं०प्र०सं० की तिथि- 24.11.2018
विचारण न्यायालय के निर्णय की तिथि- 08.05.2025
अपील योजित करने की तिथि- 22.05.2025
बहस की तिथिः- 25.06.2026
निर्णय की तिथिः-10.07.2026

निर्णय

1. परिवाद संख्या 964/2014 अब्दुल करीम (मृतक) बादहू शफीक बनाम साजिद आदि अंतर्गत धारा 323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०सं० थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर के मामले में

विद्वान विचारण न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा जिला बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 08.05.2025 से क्षुब्ध होकर दाण्डिक अपील योजित की गयी है।

2. विचारण न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश के द्वारा अभियुक्तगण साजिद, शाहिद व सिल्लन को धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास व मु० 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 341 भा०दं०सं० के अपराध में पन्द्रह दिन के साधारण कारावास व मु० 1500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 356 भा०दं०सं० के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास व मु० 20,000/- रूपये से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

3. परिवाद के अनुसार संक्षेप में परिवादी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2014 को सायं करीब 07:30 बजे डॉ० आजम की दुकान से दवाई लेकर परिवादी पैदल अपने घर वापस आ रहा था तथा मोहल्ला तरीनान के रास्ते पर साजिद पुत्र नामालूम, सिल्लन पुत्र सद्दीक व शाहिद पुत्र मलुआ ने परिवादी का रास्ता रोक कर परिवादी को गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। परिवादी के मना करने पर तीनो मुल्जिमान ने परिवादी के साथ लात-घूंसों व थप्पडों से मार पीट की और परिवादी की जेब में रखे 10,000/- रूपये सिल्लन ने छीन लिये। परिवादी के शोर पर परिवादी का पुत्र शफीक व चांद पुत्र इकराम आ गये। जिन्हें देखकर उक्त तीनो लोग भाग गये और जाते-जाते धमकी दे गये कि आज तो बच गया आइन्दा मौका मिलने पर जान से मार देंगे। परिवादी उसी समय घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो थाने वालों ने तहरीर रिसीव कर रिपोर्ट नहीं लिखी।

4. परिवाद के तथ्यों के आधार पर परिवादी का बयान धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के तहत पी०डब्लू० 1 शकील व पी०डब्लू० 2 चांद मोहम्मद के बयान अंकित किये गये तथा परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, असल रजिस्ट्री रसीद, थानाध्यक्ष खुर्जा नगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति दाखिल की गयी। जिसके आधार पर अभियुक्तगण साजिद, शाहिद व सिल्लन को धारा 323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन प्रथम दृष्टया कार्यवाही का आधार पाते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2014 के द्वारा विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उनके द्वारा अपनी उक्त धारा में जमानत सुनिश्चित की गई।

5. दौरान विचारण धारा 244 दं०प्र०सं० के तहत साक्षी पी०डब्लू० 1 परिवादी अब्दुल करीम, पी०डब्लू० 2 के रूप में मोहम्मद शकील तथा पी०डब्लू० 3 चांद को परीक्षित कराया। अन्य किसी साक्षी को परिवादी द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया।

6. परिवादी द्वारा दिनांक 24.11.2016 को परिवादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश करने से इंकार करने पर पत्रावली आरोप हेतु नियत की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 23.12.2016 को धारा 323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०संहिता के तहत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. परिरवादी द्वारा धारा 246 दं०प्र०सं० के अंतर्गत साक्षी पी०डब्लू० 1 अब्दुल करीम, पी०डब्लू० 2 शकील व पी०डब्लू० 3 चांद को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को परिवादी द्वारा

न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया। दिनांक 23.10.2018 को परिवादी द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त की गयी। तत्पश्चात पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

8. अभियुक्तगण साजिद, शाहिद व सिल्लन के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 24.11.2018 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा परिवाद के कथनों/आरोपों को गलत बताया गया। साक्षियों द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना कहा गया तथा सफाई साक्ष्य देने व और कुछ कहने से इंकार किया गया। तत्पश्चात बहस उपरांत आक्षेपित निर्णय पारित किया गया।

9. उक्त पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 08.05.2025 के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से दाण्डिक अपील इस आधार पर योजित की गयी कि प्रार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 खिलाफ वाक्यात खिलाफ कानून है। परिवादी द्वारा दायर परिवाद कानूनी सलाह व गलत व झूंठे तथ्यों पर आधारित है। परिवादी के साथ मारपीट में आई चोटों का कोई मेडिकल नहीं कराया गया है, जिससे मारपीट होने वाली बात संदिग्ध प्रतीत होती है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा अपने विवेक का सही इस्तेमाल न करके प्रार्थीगण को गलत सजा कर दी। परिवादी की ओर से स्वयं परिवादी व दो अन्य गवाह पी०डब्लू० 1 शकील पुत्र अब्दुल करीम, पी०डब्लू० 2 चांद मोहम्मद पुत्र इकराम पेश किये गये थे। दौरान विचारण परिवादी अब्दुल करीम की मृत्यु हो गयी थी, जिसके पश्चात मुकदमे की पैरोकारी अब्दुल करीम का लड़का शफीक कर रहा था। गवाह शकील परिवादी का सगा लडका व गवाह चांद शकील का साला तथा परिवादी का दामाद है। इस प्रकार घटना का कोई स्वतन्त्र व चश्मदीद साक्षी नहीं है। स्वयं परिवादी भी अपने परिवाद पत्र व बयान 244 व 246 दं०प्र०सं० में स्वीकार की है। शकील व चांद घटना घटित होने के बाद में पहुंचे थे। परिवादी ने बयान 244 दं०प्र०सं० में जिरह के समय यह कथन किया है कि प्रार्थी सिल्लन ने परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही छीना झपटी की थी। सिल्लन ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। इसके आगे 246 दं०प्र०सं० में परिवादी ने जिरह के समय यह कथन किया है कि अर्जी दावा में क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रार्थीगण को फंसाने के लिये यह झूंठा मुकदमा परिवादी द्वारा बनाया गया है। किन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया तथा अपने विवेक का सही इस्तेमाल ना करते हुए प्रार्थीगण को गलत सजा कर दी। गवाह शकील व चांद के बयान में आपस में काफी विरोधाभास है, चांद सिकन्द्राबाद का रहने वाला है तथा मात्र अब्दुल करीम का दामाद होने के नाते उसने अदालत में झूंठ बोला है कि वह घटना के समय खुर्जा मे था, चांद अपनी जिरह मे कहता है कि करीम बेहोश हो गये थे, जबकि करीम कहता है कि घटना के बाद वह बेहोश नहीं हुआ था। परिवादी अपनी जिरह मे कहता है कि घटना के बाद वह अस्पताल नहीं गया था, ना ही उसकी चोटों का कोई डॉक्टरी मुआयना हुआ था, जबकि चांद कहता है कि परिवादी अब्दुल करीम को मेडिकल के लिये अस्पताल ले गये थे तथा वहां करीम का मेडिकल कराया था। शकील अपने बयान में जिरह के समय कहता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा जब तक घटना घटित हो चुकी थी। उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी व उसके गवाह झूंठ बोल रहे हैं, किन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया तथा अपने विवेक का सही इस्तेमाल ना करते हुए प्रार्थीगण को गलत सजा कर दी। प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 341 भा०दं०सं० का कोई

अपराध नहीं बनता। परिवाद पत्र व बयानों में धारा 341 भा०दं०सं० का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है। किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया, प्रार्थीगण को गलत सजा कर दी। प्रार्थीगण ने कोई छिनैती जैसा अपराध परिवादी के साथ नहीं किया है तथा प्रार्थीगण से कोई बरामदगी भी नहीं है तथा ऐसी कोई साक्ष्य भी परिवादी व गवाहों ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु विचारण न्यायालय ने फिर भी प्रार्थीगण को धारा 356 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करते हुये गलत सजा कर दी है। इसके अतिरिक्त भी परिवादी व अन्य गवाहान के बयानों में काफी विरोधाभास है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण की अपील स्वीकृत होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की अपील स्वीकृत करते हुए विचारण न्यायालय ए०सी०जे०एम० खुर्जा महोदय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 को अपास्त करने की कृपा करें।

10. अपीलार्थी की ओर से दाण्डिक अपील में प्रलेखीय साक्ष्य में परिवाद संख्या 964/2014 अब्दुल करीम (मृतक) बादहू शफीक बनाम साजिद आदि के मामले में विचारण न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुर्जा, जिला बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 08.05.2025 की सत्य प्रतिलिपि, पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के बयान की सत्य प्रति तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के आधार कार्ड, एवं सूची 16B से परिवाद सं० 387/2012 शकील बनाम आस मोहम्मद आदि की सत्यप्रति एवं आदेश तलबी दिनांकित 20.07.2012 की सत्य प्रतिलिपि, ECourt Services का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया हैं। अपीलार्थीगण की ओर से निम्न वर्णित विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गयी हैं-

(a) Kaliram Vs State of Himachal Pradesh 1973 AIR 2773

(b) kanakarajan @ Kanakan Vs State of Kerala SLC-Daily Law-8323 (SC)

(c) Criminal Appeal Nos. 931-932 of 2009 Rajkumar Singh @ Raju @ Batya Vs State of Rajasthan, Dated 06.05.2013

(d) Lallu Manjhi Vs State of Jharkhand 2003 AIR-JHAR.H.C.R. 267

(e) Criminal Appeal Nos. 4946 of 2006 Ram Sagar Vs State of U.P., Dated 11.07.2013

(f) Kamal Vs. State (N.C.T. of Delhi), 2024 [1] AAR 233 (SC)

11. विपक्षी सं० 2 की ओर से अपील के खण्डन में कोई लिखित प्रस्तुत नहीं की गई। बल्कि मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर उचित व विधिसंगत आदेश पारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से मारपीट व गाली गलौज करते हुये व रास्ता रोककर 10,000/-रूपयों की लूट की गयी है तथा साक्षियों के आने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये। साक्षियों के बयानों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। बल्कि समय अधिक होने के कारण उनके द्वारा जो विरोधाभास किये गये हैं वे स्वाभाविक हैं। धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध हेतु मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यक्ता नहीं है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य से स्वयं घटना को साबित किया है। यह भी स्पष्ट है कि पहले थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया तब फिर कार्यवाही नहीं होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। थाने में रिसीविंग भी है।

अभियुक्तगण द्वारा रंजिशन मारपीट की गयी है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुये दाण्डिक अपील खण्डित की जाये।

12. विपक्षी सं० 1 की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुये अपील खंडित करने और आक्षेपित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने का कथन करते हुये उसे विधि अनुकूल होने व पुष्ट किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

13. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की तर्क पूर्ण बहस को सुना एवं पत्रावली व उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों का सम्यक परिशीलन किया। साथ ही साथ तलबशुदा परिवाद सं० 964/2014 अब्दुल करीम (मृतक) बादहू शफीक बनाम साजिद आदि तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 08.05.2025 का अवलोकन किया गया।

14. प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 04.07.2014 को समय करीब 7.30 बजे सायं जब परिवादी डॉ० आजम की दुकान से दवा लेकर पैदल अपने घर आ रहा था तभी मोहल्ला तरीनान के रास्ते पर अभियुक्तगण द्वारा उसका रास्ता रोककर गंदी-गंदी गालियां दी गयी। परिवादी के मना करने पर उसके साथ लात घूंसो से मारपीट करते हुये उसकी जब से 10,000/- रूपये अभियुक्त सिल्लन द्वारा छीन लिये गये। परिवादी के शोर पर उसका पुत्र शफीक व साक्षी चांद पुत्र इकराम आ गये, जिन्हें देखकर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा प्रकरण परिवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें परिवादी की साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 व 202 दं०प्र०सं० तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण साजिद, शाहिद व सिल्लन को विचारण न्यायालय द्वारा विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर परिवादी द्वारा दौरान विचारण अपनी साक्ष्य अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० प्रस्तुत की गयी। जिसमें साक्षीगण पी०डब्लू० 1 अब्दुल करीम, पी०डब्लू० 2 मो० शकील तथा पी०डब्लू० 3 चांद को परीक्षित कराया गया। जिसके उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2016 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की गयी। तदोपरांत परिवादी के द्वारा परिवाद मामले में धारा 246 दं०प्र०सं० के तहत साक्षीगण पी०डब्लू० 1 अब्दुल करीम, पी०डब्लू० 2 मो० शकील तथा पी०डब्लू० 3 चांद को प्रतिपरीक्षा हेतु पेश किया गया। परिवाद से यह भी दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा थाने पर दिनांक 04.07.2014 को प्रार्थना पत्र दिया भी बताया गया है जिसकी प्रति सूची 5B से संलग्न है एवं दिनांक 18.07.2014 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को जरिये डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। समस्त साक्ष्य के आधार पर परिवादी को युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करना है कि परिवाद में वर्णित घटना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा धारा 323, 341, 356, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोपित अपराध उसके विरूद्ध कारित किया गया है।

15. अभियुक्तगण पर लगाये गये उपरोक्त आरोपों को साबित करने का आरंभिक भार अभियोजन पक्ष पर ही होता है। **धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** साबित करने के भार के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करती है कि Burden of proof—Whoever desires any Court to give judgment

as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. **धारा 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** इस संबंध में यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि On whom burden of proof lies–The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **टीका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1974 (SC)155** में प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन को मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करना होता है, बचाव पक्ष की असत्यता तात्विक नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रत्येक मामलों में आरोपित आरोप को साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर ही है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी का परिवाद में कथन है कि वह दिनांक 04.07.2014 को सायं करीब 07:30 बजे डॉ० आजम की दुकान से दवाई लेकर पैदल अपने घर वापस आ रहा था तथा मोहल्ला तरीनान के रास्ते पर साजिद, सिल्लन व शाहिद ने परिवादी का रास्ता रोक कर उसे गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उसके मना करने पर तीनो मुल्जिमान ने उसके साथ लात-घूंसों व थप्पडों से मारपीट की और परिवादी की जेब में रखे 10,000/- रूपये सिल्लन ने छीन लिये। परिवादी के शोर पर परिवादी का पुत्र शफीक व चांद पुत्र इकराम आ गये। जिन्हें देखकर उक्त तीनो लोग भाग गये और जाते-जाते धमकी दे गये कि आज तो बच गया आइन्दा मौका मिलने पर जान से मार देंगे। अभियुक्तगण पर आरोपित आरोपों को सिद्ध करने हेतु परिवादी द्वारा थाना प्रभारी खुर्जा नगर को दी गयी तहरीर सूची 5B से संलग्न की है जिसका उल्लेख परिवाद एवं बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में भी किया गया है कि दिनांक 04.07.2014 को थाने में उक्त तहरीर रिसीव करायी थी किन्तु मुल्जिमान के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त तहरीर में परिवादी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थी आज शाम करीब 07:30 बजे डॉक्टर आजम से दवाई लेकर आ रहा था, तो रास्ते में तरीनान में साजिद व सिल्लन मिले, जिन्होंने प्रार्थी को गाली दी। जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया, तो उक्त दोनो ने प्रार्थी के साथ मारपीट की और प्रार्थी की जेब में रखे 10,000/- रूपये ले लिये। मौके पर बहुत से लोग इक्ट्ठा हो गया, जिन्हें देखकर उक्त दोनो लोग भाग गये और जाते-जाते धमकी दे गये कि आज तो बच गया है, आइन्दा मिलने पर जान से मार देंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त साजिद व सिल्लन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

17. इस प्रकार दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खुर्जा नगर को घटना की रिपोर्ट दिये जाने का उल्लेख पैरा नं० 5 एवं बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में किया गया है। प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर को दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अब्दुल करीम द्वारा दो अभियुक्तगण साजिद व सिल्लन द्वारा उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करते हुए 10,000/- रूपये ले लिये जाने का कथन किया गया है। जबकि परिवादी द्वारा अपने परिवाद के पैरा नं० 6 एवं बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में घटना के 14 दिन बाद दिनांक 18.07.2014 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को टाइप कराकर बजरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया जाना बताया गया है,

जो कागज संख्या 6B से संलग्न है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र में परिवादी द्वारा दिनांक 04.07.2014 की समय 07:30 बजे की घटना दर्शाते हुए अभियुक्तगण साजिद व सिल्लन के अतिरिक्त शाहिद पुत्र मलुआ की भी संलिप्तता बताई गई तथा परिवाद में भी शाहिद पुत्र मलुआ द्वारा अन्य मुल्जिमान के साथ घटना में संलिप्त होना बताया गया है। इस प्रकार दर्शित होता है कि प्रभारी निरीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र के समय यदि अभियुक्त शाहिद पुत्र मलुआ घटना में संलिप्त नहीं था, तो फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये प्रार्थना पत्र एवं परिवाद में उसकी संलिप्तता किस प्रकार उल्लिखित की गई, इसका कोई भी साक्ष्य या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी दर्शित होता है कि प्रभारी निरीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र 8B में अभियुक्तगण साजिद व सिल्लन द्वारा रास्ता रोकने संबंधी कोई भी तथ्य अंकित नहीं किया गया है। जबकि एस.एस.पी. बुलन्दशहर को दिये प्रार्थना पत्र में तीन मुल्जिमान द्वारा परिवादी का रास्ता रोककर जेब में रखे 10,000/- रूपये जबरदस्ती छीन लिये जाने का तथ्य अंकित किया गया है और इसी सन्दर्भ में यदि परिवाद के तथ्यों को देखा जाए तो उसमें भी तीन अभियुक्तगण द्वारा परिवादी का रास्ता रोककर गालियां देते हुए लात, घूंसों, थप्पडों से मारपीट करने तथा विशिष्ट रूप से अभियुक्त सिल्लन द्वारा परिवादी की जेब से 10,000/- रूपये छीन लिये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। जबकि सिल्लन द्वारा परिवादी की जेब से पैसे छीने जाने का तथ्य न तो एस.एस.पी. को दिये प्रार्थना पत्र में अंकित है, और न ही प्रभारी निरीक्षक को दिये प्रार्थना पत्र में अंकित हैं। यह भी दर्शित होता है कि प्रभारी निरीक्षक को दिये प्रार्थना पत्र 8B में बहुत से लोगों के इकट्ठा होने दोनो अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने का तथ्य अंकित किया गया है, किन्तु किसी विशिष्ट गवाह का नाम जिसके द्वारा परिवादी को मुल्जिमान से बचाया गया हो, अंकित नहीं किया गया है। किन्तु एस.एस.पी. को दिये प्रार्थना पत्र एवं परिवाद में परिवादी के शोर पर मौके पर परिवादी के लड़के शकील एवं चांद पुत्र इकराम के आ जाने का तथ्य अंकित किया गया है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि परिवादी के द्वारा परिवाद में अंकित तथ्य उसके द्वारा पूर्व में प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर को घटना के तत्काल बाद दिये गये प्रार्थना पत्र एवं एस.एस.पी. बुलन्दशहर को दिये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों में आपस में सारवान विरोधाभास दर्शित हो रहा है, जिससे घटना अभिलेखीय आधारों पर संदिग्ध दर्शित हो रही है। यह तथ्य भी घटना को संदिग्ध बनाता है कि परिवादी के द्वारा वर्णित घटना में दो अभियुक्त थे अथवा तीन। विचारण न्यायालय द्वारा तलबशुदा परिवाद के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि परिवादी के द्वारा मारपीट के उपरांत अपना कोई भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है और चिकित्सीय परीक्षण न कराये जाने का कोई भी स्पष्ट आधार परिवाद में वर्णित नहीं किया गया।

18. परिवाद में वर्णित घटना एवं आरोपित आरोपों को साबित करने हेतु परिवादी द्वारा स्वयं को अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० पेश किया गया है, जिसमें उसके द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया गया है। किन्तु परिवाद के तथ्यों एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से भिन्न कथन किया गा कि साजिद व शाहिद ने गोली मारने की धमकी दी थी। ऐसा कोई भी तथ्य न तो परिवाद में अंकित है और न ही एस.एस.पी. बुलन्दशहर अथवा थाना प्रभारी खुर्जा नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित है। परिवादी द्वारा स्वयं को अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० परीक्षित कराया गया। जिसमें परिवादी द्वारा कथन किया गया कि मेरा झगड़ा चार यार होटल के पास हुआ था। मारपीट के समय बाजार चल रहा

था। वहाँ पर चाँद और शकील थे। मेरे साथ मारपीट 10-15 मिनट तक हुई थी। मैं जमीन पर गिर गया था। गिरने पर भी मेरे साथ मारपीट की थी। शकील और चांद मारपीट के 10 मिनट के बाद आ गये थे। मारपीट के बाद जब गवाहान मौके पर आये थे, वे मुझे थाने लेकर आये थे। थाने पैदल गये थे। मैं व दोनो गवाह पैदल ही थाने गये थे। रूपये मेरी जेब में थे। एक-एक हजार के दस नोट थे। दस हजार रूपये की भैंस बेचकर आया था। उसी के रूपये मेरी जेब में थे। मेरे साथ 10-15 मिनट तक लाल घूंसे व डण्डे मारे फिर कहा कि लात घूंसे मारे। मेरे चोंट आई थी। मैने अपना डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया। थाने के बाद मैं सीधे अपने घर आया था, अस्पताल नहीं गये थे। एस.एस.पी. को 14 दिन बाद रिपोर्ट भेजी थी। तीनो मुल्जिमान ने एक साथ मारपीट की थी। सिल्लन व साजिद से मेरा कोई साझा भैंसों के व्यापार में नहीं है। घटनास्थल के आसपास का मैने अर्जी दावा में कोई गवाह नहीं बनाया है। मारपीट करने के बाद मुल्जिमान मोटरसाइकिल से नाई वाली मस्जिद की तरफ गये थे। अर्जी दावा में क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयानों से यह दर्शित होता है कि 10-15 मिनट तक तीन मुल्जिमान द्वारा लात-घूंसों से मारपीट किये जाने तथा मारपीट में चोटें आने के बावजूद परिवादी द्वारा कोई भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया। जबकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ 10-15 मिनट तक लात, घूंसों से मारपीट करने पर चोटें आने की पूर्ण सम्भावना रहती है। अपने बयानों में परिवादी ने अपनी उम्र 70 वर्ष बतायी है और 70 वर्ष के व्यक्ति के साथ 10-15 मिनट तक तीन व्यक्तियों द्वारा मारपीट किया जाना बताया जा रहा है। इस साक्षी के बयानों से यह भी दर्शित होता है कि गवाह शकील एवं चांद मारपीट के 10 मिनट के बाद मौके पर आये थे और वे परिवादी को पैदल थाने लेकर गये थे अर्थात् स्पष्ट है कि गवाहान घटना के बाद मौके पर पहुँचे और उनके द्वारा स्वयं कोई घटना नहीं देखी गई है। यह भी दर्शित है कि घटनास्थल के पास काफी दुकाने और होटल व चलता-फिरता बाजार भी है। किन्तु परिवादी द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया, बल्कि यह दर्शित होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 2 शकील स्वयं परिवादी का ही पुत्र है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद परिवादी का दामाद है, जिसे पी०डब्लू० 3 चांद ने भी स्वीकार किया है कि मुकदमा वादी करीम मेरे ससुर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो ही साक्षी परिवादी से हितबद्ध है। हालांकि परिवादी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि गवाह घटना के 10 मिनट बाद आये थे, जो यह स्पष्ट करता है कि गवाहों द्वारा कोई घटना नहीं देखी गई। साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा दोनो गवाहों के साथ पैदल थाने जाना बताया है, किन्तु साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट कहा है कि करीम बेहोश हो गये थे और वह उन्हें लेकर अस्पताल गया था। किन्तु करीम के साथ थाने नहीं गया था, परन्तु परिवादी पी०डब्लू० 1 द्वारा दोनो गवाहों के साथ थाने जाना कहा है, किन्तु डॉक्टरी मुआयने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य की सम्पुष्टि अन्य साक्षियों की साक्ष्य से नहीं होती है। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने जमीन पर गिराकर मुल्जिमान द्वारा मारपीट किया जाना बताया गया है, किन्तु इतनी मारपीट के बाद भी अपना कोई भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है जिसमें परिवादी ने यह कथन किया है कि सिल्लन ने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी। अभियुक्तगण साजिद व शाहिद ने मेरे साथ मारपीट की थी। बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में पी०डब्लू० 1 द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण शाहिद व साजिद

ने मेरे साथ मारपीट व छीना-झपटी की थी। सिल्लन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। सिल्लन केवल खड़ा था। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 करीम के बयान धारा 244 एवं धारा 246 दं०प्र०सं० में ही गम्भीर व सारवान विरोधाभास मौजूद है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सिल्लन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और वह खड़ा रहा था। जबकि ऐसा कोई भी तथ्य न तो परिवाद में अंकित है और न ही थाने व एस.एस.पी. को दिये प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। साक्षी के बयान धारा 244 दं०प्र०सं० की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घोर विरोधाभास दर्शित हो रहा है। यदि अभियुक्त सिल्लन द्वारा उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया तो फिर परिवादी द्वारा प्रारम्भ से उसे अभियुक्त क्यों बनाया गया। एक तरफ जहाँ परिवाद में तीनो अभियुक्तों द्वारा मारपीट करने और विशिष्ट रूप से सिल्लन द्वारा परिवादी की जेब से पैसे छीनने का कथन किया गया है, वहीं बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में सिल्लन की किसी भी अपराध में संलिप्तता से इंकार किया गया है और सिर्फ उसको घटनास्थल पर खड़ा रहना बताया गया है। यदि साक्षी के साथ मारपीट हुई तो भी उसके द्वारा अपना कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया। हालांकि धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध के गठन हेतु चिकित्सीय परीक्षण आख्या की आवश्यकता नहीं है, किन्तु परिवादी को संदेह से परे यह साबित करना होगा कि उसके साथ मुल्जिमान द्वारा मारपीट कारित की गई, किन्तु ऐसा कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि अभियुक्त सिल्लन द्वारा परिवादी के साथ कुछ नहीं किया गया और थाना प्रभारी को दिये प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियुक्त शाहिद घटना के समय मौजूद ही नहीं था, तब ऐसी स्थिति में परिवादी का सम्पूर्ण कथानक असत्य हो जाता है। परिवादी के अतिरिक्त घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया है। परिवादी ने बयान धारा 246 दं०प्र०सं० में यह भी कहा गया कि मारपीट करने के बाद मुल्जिमान मोटरसाइकिल से नाई वाली मस्जिद की तरफ गये। जबकि परिवाद में एवं एस.एस.पी. को दिये गये प्रार्थना पत्र व बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में ऐसा कोई भी तथ्य अंकित नहीं है कि अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर आये हो। ऐसी स्थिति में परिवादी की सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि उसकी साक्ष्य में घोर विरोधाभास व विसंगतियां मौजूद है, जो कि इस साक्षी की विश्वसनीयता को ही प्रभावित करती है।

19. परिवादी की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में गवाह मो०शकील को पेश किया गया है, जिसके द्वारा मुख्यपरीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन करते हुए यह कहा गया कि तभी मैं वहाँ पर आ गया। तीनों उक्त लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाने वाले थे, तभी मैं आ गया। जिरह में इस गवाह द्वारा बताया गया कि सब कुछ होने के बाद मैं तुरन्त ही वहाँ आया था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा स्वयं कोई घटना नहीं देखी गई, जैसा कि पी०डब्लू० 1 ने भी बताया है कि 10 मिनट बाद गवाह आये थे। बयान धारा 246 दं०प्र०सं० में साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा यह बताया गया कि इकराम मेरे मामू लगते हैं। चांद इकराम का लड़का है। मेरी बहन सन्नो का पति चांद है। मैं मौके पर नहीं था, जब मुल्जिमान मेरे पिता को मार रहे थे। झगड़े के 10 मिनट बाद मैं मौके पर पहुँचा था। जब मैं मौके पर पहुँचा था, तो मुल्जिमान जा चुके थे। लेकिन मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। मैं अपने पिता जी को कोतवाली रिपोर्ट लिखाने ले गया था। जहाँ घटना घटित हुई थी, वहाँ चारो तरफ दुकाने हैं, बाजार था। वहाँ बहुत से लोग थे। मैं अपने पिता को 07:30 बजे थाने लेकर गया था। मेरे पिता

के शरीर पर गुम चोटें ज्यादा थी। हम अपने पिता जी को खुद भी अस्पताल नहीं ले गये थे। थाने मैं, चांद व पिता जी गये थे, फिर कहा शकील भी गया था। घटनास्थल के सामने चार यार होटल व जकी डॉक्टर की दुकान है, चाय की दुकान भी है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 2 शकील के बयानों से भी यह स्पष्ट है कि वह घटनास्थल पर घटना के 10 मिनट बाद पहुँचा और उसने मुल्जिमान को केवल मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा। परन्तु घटना नहीं देखी। इस साक्षी के बयान यह भी स्पष्ट करते हैं कि घटनास्थल पर बाजार, होटल, दुकानें आदि है, किन्तु फिर भी घटना का कोई भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। इस साक्षी ने भी अपने पिता के शरीर पर गुम चोटें ज्यादा आना बताया है, किन्तु फिर भी अपने पिता का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया और स्पष्ट कहा गया कि वह अपने पिता को अस्पताल लेकर नहीं गया, बल्कि थाने में चांद व पिता के साथ गया था। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद ने चुटैल करीम को अस्पताल ले जाना बताया, किन्तु थाने जाने से मना किया है। इस साक्षी के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गवाह चांद परिवादी का रिश्तेदार है और इसी कारण हितबद्ध है। साक्षी पी०डब्लू० 2 के बयानों से घटना की किसी भी प्रकार से सम्पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उसके द्वारा स्वयं घटना को नहीं देखा गया है और न ही अपने पिता का उपचार कराया गया है।

20. परिवादी की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद के द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में दिनांक 04.07.2014 को शाम 07:30 बजे की घटना का समर्थन करते हुए यह कहा कि करीम को शाहिद, साजिद व सिल्लन मार रहे थे और मारते हुए कहा था कि अगर तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो गोली मार देंगे और दस हजार रूपये छीनकर भाग गये। जबकि बयान धारा 246 दं०प्र०सं० में साक्षी चांद द्वारा बताया गया कि मुकदमा वादी करीम मेरे ससुर है। घटना शाम साढ़े सात बजे की थी, अंधेरा था। मैं बस स्टैण्ड से आ रहा था। मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, शकील मेरे साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था। हम मौके वारदात पर शाम साढ़े सात बजे पहुँचे थे, जब घटना हो रही थी, तभी पहुँचे थे। मैने देखा यह तीनों करीम बाबा को मार रहे थे, चांटे मार रहे थे। घूंसे भी मार रहे थे। इन तीनो मुल्जिमान ने करीम बाबा को करीब पाँच मिनट तक मारा था। मौके पर काफी भीड जमा हो गई थी। जब हम वहाँ पहुँचे थे, तो मुल्जिमान और हमारा आमना-सामना नहीं हुआ था। मारपीट करने से करीम के शरीर में चोंटे आयी थी। मैने करीम की चोटों को देखा था। करीम बेहोश हो गये थे। मैं करीम को लेकर अस्पताल गया था। करीम का डॉक्टरी मुआयना हमने अस्पताल में कराया था। मैं अस्पताल में करीम को छोड़कर चला गया था। क्योंकि वहाँ उनके बच्चे आ गये थे। मैं करीम के साथ थाने नहीं गया था। मुल्जिमानों ने करीम की जेब में से दस हजार रूपये निकालकर भाग गये थे। झगड़ा चार यार रोड़ पर हुआ थ, वहाँ पर घनी आबादी है। मेरे ससुर करीम गवाह है और कोई पब्लिक का स्वतंत्र गवाह नहीं है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद के बयान स्वयं में ही विरोधाभासी प्रकृति के दर्शित हो रहे हैं। एक तरफ इस गवाह द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब मौके वारदात पर शाम 07:30 बजे वह शकील के साथ मोटरसाइकिल पर पहुँचा, तो देखा कि तीनों करीब बाबा को मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साक्षी द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब हम वहाँ पहुँचे थे, तो मुल्जिमान और हमारा आमना-सामना नहीं हुआ था। इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि यदि मुल्जिमान और गवाह चांद व शकील का आमना-सामना ही नहीं हुआ तो साक्षी चांद द्वारा घटना कैसे देखी गई और परिवादी को कैसे

बचाया गया। जबकि परिवादी के कथनों एवं परिवाद के अनुसार गवाहान के आ जाने पर मुल्जिमान भाग गये। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद द्वारा शकील के साथ मोटरसाइकिल पर घटनास्थल पर आना कहा गया है, जबकि शकील द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है और यदि यह गवाह शकील के साथ मोटरसाइकिल पर आया तो साक्षी शकील द्वारा स्वयं कहा गया है कि वह घटना के 10 मिनट बाद मौके पर पहुँचा। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि न तो शकील द्वारा घटना को देखा गया और न ही गवाह चांद द्वारा स्वयं घटना को देखा गया। बल्कि दर्शित है कि वह परिवादी का रिश्तेदार होने के कारण बतौर हितबद्ध साक्षी उसके पक्ष में बयान देने हेतु आया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वह मारपीट करने से करीम के शरीर पर आयी चोटों का इलाज कराने हेतु अस्पताल गया था और वहाँ पर करीम के बच्चों के आ जाने पर अस्पताल से चला गया। जबकि पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा तथ्य मौजूद नहीं है तथा परिवादी व साक्षी शकील ने भी चुटैल के अस्पताल जाने से इंकार किया है। साक्षी चांद ने मौके पर चुटैल करीम को बेहोश हो जाना बताया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 1 चुटैल अब्दुल करीम द्वारा बयान धारा 246 दं०प्र०सं० में स्वयं बताया है कि मारपीट के दौरान मैं बेहोश नहीं हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद के बयान किसी भी प्रकार से विश्वसनीय दर्शित नहीं हो रहे हैं। साक्षी पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 ने दोनो गवाहान के साथ थाने पर जाना बताया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद ने चुटैल के साथ थाने पर जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। साक्षी चांद द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि पब्लिक का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, जबकि मौके पर भीड़ जमा हो जाना भी बताया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि साक्षी शकील व चांद जो कि परिवादी के संबंधी है, के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई स्वतन्त्र गवाह पेश नहीं किया गया है। जबकि जिन साक्षियों शकील व चांद को पेश किया गया है, उनके द्वारा स्वयं कोई घटना नहीं देखी गई है और साक्षी चांद द्वारा न्यायालय के समक्ष यह झूठा कथन किया जा रहा है कि उसने देखा कि तीनो मुल्जिमान करीम बाबा को चांटे, घूंसे मार रहे थे। अगर यह गवाह शकील के साथ घटनास्थल पर आया है, तो स्पष्ट है कि वह घटना के 10 मिनट बाद ही पहुँचा और उसने कोई भी घटना नहीं देखी। ऐसी स्थिति में साक्षी पी०डब्लू० 3 चांद की साक्ष्य भी किसी प्रकार विश्वास के योग्य दर्शित नहीं होती है।

21. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी आक्षेपित निर्णय दिनांकित 08.05.2025 में साक्षी पी०डब्लू० 3 को पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी होना स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि पी०डब्लू० 2 ने भी घटना घटित होते नहीं देखी। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 की एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 356 भा०दं०संहिता में दोषसिद्ध किया गया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने बयान धारा 246 दं०प्र०सं० में यह कथन किया कि अर्जी दावा में क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य घोर विरोधाभासी है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों के बयानों में विसंगतियों के संबंध में विधि व्यवस्था **State of U.P. Vs. Krishna Master** पर भरोसा करते हुए यह अंकित किया गया कि "प्रकरण में घटना 2014 की है और मुख्यपरीक्षा में वर्ष 2016 में अंकित की गई है तथा जिरह भी उसके दो वर्ष अंकित की गई है। ऐसे में सुस्थापित विधि सिद्धांत है कि

जब जिरह लम्बी अवधि के बाद की जाये तो यह सम्भव नहीं है कि साक्षी को पूर्ण शुद्धि/क्रम के साथ घटना याद रहे। ऐसी स्थिति में गवाह से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह घटना को बताये।" यह न्यायालय भी विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित उक्त निष्कर्ष का समर्थन करती है, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा प्रारम्भ से अभियुक्तों की संख्या तथा यह कहना कि अभियुक्त सिल्लन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया तथा अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण न कराना आदि तथ्य ऐसे है, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को याद रह सकते हैं। सामान्यतः तिथि, समय, समयावधि, घटना का क्रम, हथियारों की संख्या आदि के बाबत स्मृति लोप होना स्वाभाविक है। किन्तु ग्रामीण व्यक्ति भी घटना को अच्छी तरह से याद रखते है कि किस व्यक्ति द्वारा व किन-किन व्यक्तियों द्वारा उसके साथ घटना कारित की गई और क्या-क्या किया गया। परिवादी द्वारा एक तरफ जहाँ परिवाद में यह कहा जा रहा है कि वह डॉक्टर आजम की दुकान से दवाई लेकर आ रहा था, वहीं पैसों के संबंध में यह कहा गया कि एक-एक हजार रूपये के दस नोट भैंस बेचकर लाया था, इससे यह दर्शित हो रहा है कि परिवादी को स्मृति लोप नहीं हुआ था। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से एक-एक हजार रूपये के नोट जेब में रखे होना बताया गया है। अब यहीं पर यह भी उल्लेखनीय है कि वह उक्त रूपये जेब में रखकर डॉक्टर आजम के पास किस उद्देश्य से गया था और उसके द्वारा भैंस कब बेची गई, यह सभी तथ्य भी दर्शाते है कि उसके द्वारा असत्य आधारों पर परिवाद योजित किया गया है। किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित मूल्यांकन न करते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षी पी०डब्लू० 1 की समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह अभिमत है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य भी विश्वसनीय साक्ष्य की प्रकृति की दर्शित नहीं होती है।

22. इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था **Appeal (crl.) 15 of 2002 Lallu Manjhi & Anr vs State Of Jharkhand** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Vadivelu Thevan etc. v. State of Madras, AIR 1957 SC 614 पर भरोसा व्यक्त करते हुये विधिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया गया है कि The Law of Evidence does not require any particular number of witnesses to be examined in proof of a given fact. However, faced with the testimony of a single witness, the Court may classify the oral testimony into three categories, namely (i) wholly reliable, (ii) wholly unreliable, and (iii) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In the first two categories there may be no difficulty in accepting or discarding the testimony of the single witness. The difficulty arises in the third category of cases. The court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial, before acting upon testimony of a single witness. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था **CRIMINAL APPEAL NO. 841 OF 2007 Kanakarajan @ Kanakan vs State Of Kerala** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं उसके मूल्यांकन के संबंध में यह विधिक दृष्टान्त दिया गया है कि It is not necessary that in each and every case on the ground of non examination of independent witnesses the case of the prosecution has to be brushed aside, if the evidence of prosecution witnesses is consistent, cogent and

corroborated by other evidence it can be safely relied upon, but it is not so in the case at hand. साक्षीगण की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था **Raj Kumar Singh @ Raju @ Batya vs State Of Rajasthan AIR 2013 SUPREME COURT 3150** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि It is a settled legal proposition that, while appreciating the evidence of a witness, minor discrepancies on trivial matters, which do not affect the core of the case of the prosecution, must not prompt the court to reject the evidence thus provided, in its entirety. The irrelevant details which do not in any way corrode the credibility of a witness, cannot be labeled as omissions or contradictions. Therefore, the courts must be cautious and very particular, in their exercise of appreciating evidence. इसी व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि While appreciating the evidence, the court must not attach undue importance to minor discrepancies, rather must consider broad spectrum of the prosecution version. The discrepancies may be due to normal errors of perception or observation or due to lapse of memory or due to faulty or stereo-type investigation.

23. इस प्रकार यह दर्शित होता है कि साक्ष्य में छोटी-मोटी विसंगतियों को न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है, किन्तु जहाँ पर गम्भीर व सारवान विरोधाभास मौजूद हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसका लाभ अभियुक्त पाने का हकदार होता है। यह भी स्पष्ट है कि साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायालय को कड़ाई के साथ करना चाहिए। हालांकि यदि अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं भी किये गये, तो उससे अभियोजन के केस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, किन्तु ऐसी स्थिति में न्यायालय को उन साक्षियों की साक्ष्य का, जो पेश किये गये हैं, कठोर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि परिवादी द्वारा जिन साक्षियों को साक्ष्य में पेश किया गया है, उसमें से साक्षी पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा साक्षी पी०डब्लू० 3 की साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने पर उसकी साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त यदि चुटैल साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो उसकी साक्ष्य भी विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है तथा उसकी सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से भी नहीं हो रही है तथा पत्रावली में मौजूद अभिलेखीय साक्ष्य भी साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य से असंगत है। ऐसी स्थिति में परिवादी की समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

24. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर धारा 323, 341, 356 भा०दं०संहिता में अभियुक्तगण शाहिद, साजिद व सिल्लन को दोषसिद्ध किया गया है, वह परिवादी की साक्ष्य के आधार पर उचित व तर्कसंगत दर्शित नहीं हो रहा है। परिवादी की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास दर्शित हो रहे हैं। मारपीट के बाबत कोई भी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। साक्षी पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 द्वारा घटना को नहीं देखा गया है तथा वे हितबद्ध साक्षी भी है। परिवादी को स्वयं यह जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा परिवाद में क्या लिखा गया है। जबकि उसे एक-एक हजार रूपये के नोट जेब में रखे होने की जानकारी है। जबकि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा तीन साल बाद यह याद रख

पाना सम्भव नहीं है कि उसके जेब में कितने-कितने रूपये के नोट थे। इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह दर्शित हो रहा है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य भी पूर्ण रूप से घटना के संबंध में अविश्वसनीय है और उसकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांकित 08.05.2025 में जिन आधारों पर अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 356 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया गया है, वह परिवादी की समस्त साक्ष्य के आधार पर विधिपूर्ण एवं तर्कसंगत दर्शित नहीं होता है। परिवादी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मत में अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत दर्शित होता है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.05.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील सं० 09/2025 तदनुसार स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2025 अपास्त करते हुए अभियुक्तगण साजिद, शाहिद एवं सिल्लन का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है एवं अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोपित आरोपों अन्तर्गत धारा 323, 341, 356 भा०दं०संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दौरान अपील जमानत पर है उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख सहित विद्वान विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित किया जाये।

दिनांकः 10.07.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।
J.O. Code- U.P.-1674

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 10.07.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।
J.O. Code- U.P.-1674

Steno Mohd Afsan

Additional Session Judge,
Khurja, Bulandshahr

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.07.10 17:39:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court